332

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1997 (फाल्गुन 29, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-3-97 -आठ, दिनांक 6 फरवरी, 1997 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम पंचायत बासीन के पटवारी द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) चौधरी राकेश सिंह, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के मझगवां थानाकर्मियों द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के सिंहपुर बांध की नहरों की मरम्मत व सफाई कार्य न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री मोतीलाल दवे, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले की -

(क) बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने, तथा

(ख) ओड़ी नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री रामलखन सिंह (त्यौथर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम घटेहा में होम्योपैथी या आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-